

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 20-5-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिवहरे
सदस्य राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर प्रकरण क्रमांक निगरानी
1830-तीन/98 विरुद्ध आदेश दिनांक 17.9.98 पारित द्वारा अपर
आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्र0क्र0 808/निगरानी/95-96.

तिलकराज बजाज तनय बनीस लाल
निवासी मनगवां मौजा खम्हरी तहसील सिरमौर
जिला रीवा म0प्र0

----- आवेदक

विरुद्ध




रवि प्रकाश तनय श्री चन्द्रमोलेश्वर
निवासी बस्ती मनगवा तहसील सिरमौर
जिला रीवा

----- अनावेदक

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 1830-तीन/98

जिला -रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20.5.14 समय दोपहर 12.00 बजे	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0के0 अवस्थी एवं श्री तिलकराज बजाज तनय बनारसी लाल निवासी मनगवा तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0 को आबाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं ।	 सदस्य
समय दोपहर 3.00 बजे	प्रकरण पुनः 3.00 बजे प्रस्तुत । आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0के0 अवस्थी एवं श्री तिलकराज बजाज तनय बनारसी लाल निवासी मनगवा तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0 को आबाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं ।	 सदस्य
शाम 5.00 बजे	प्रकरण पुनः 5.00 बजे प्रस्तुत । आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0के0 अवस्थी एवं श्री तिलकराज बजाज तनय बनारसी लाल निवासी मनगवा तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0 को आबाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं । अतः म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 35 (2) के अंतर्गत प्रकरण आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है ।	 (अशोक शिवहरे) सदस्य